



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 02.02.2021

1-थाना बिसरख पुलिस द्वारा महिला से छेडछाड करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.02.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा महिला से छेडछाड करने वाले 04 अभियुक्त
1. सचिन पुत्र स्व0 श्री अशोक गोयल 2. सचिन कपुर पुत्र अनिल कपुर 3. वैभव पुत्र पवन 4. फैजल पुत्र
जैनुदीन को थाना क्षेत्र के लैबर चौक के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण-

1. सचिन पुत्र स्व0 श्री अशोक गोयल निवासी म0नं0 29 ए शालीमार बाग दिल्ली।
2. सचिन कपुर पुत्र अनिल कपुर निवासी एन यू ब्लॉक 35 सी पीतमपुरा दिल्ली।
3. वैभव पुत्र पवन निवासी ए 92 पाण्डव नगर दिल्ली।
4. फैजल पुत्र जैनुदीन निवासी सी0 45 सेक्टर 11 विजयनगर गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 46/2021 धारा 323/452/354 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

2-थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस द्वारा एटीएम क्लोन बनाकर धोखाधडी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से विभिन्न बैंको के 36 एटीएम कार्ड व 58,000 रूपये नकद व एक कार बरामद।

दिनांक 01.02.2021 को थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस द्वारा एटीएम क्लोन बनाकर धोखाधडी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 01 अभियुक्त नाजिम पुत्र शेखावत निवासी म0नं0-32, चोट पुर

बहलोलपुर सेक्टर 63 नोएडा को थाना क्षेत्र के गोल चक्कर सेक्टर-62 नोएडा से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से विभिन्न बैंको के 36 एटीएम कार्ड व 58,000 रूपये नकद व 01 आई-10 कार नं0 डीएल 7 सीपी 6333 बरामद हुये है।

घटना करने का तरीका-

अभियुक्त ने बताया कि उसका साथी अरमान एटीएम के अंदर एक मशीन लगा देता है, जहां पर एटीएम कार्ड लगाते है वहां पर एक डिवाइस लगा देता है जिससे एटीएम कार्ड का ब्लैक स्ट्रीप व सीवीवी नम्बर स्कैन हो जाता है जहां पर पिन डालते है वहां एक छोटा कैमरा लगाते है जिससे अरमान एटीएम का नम्बर व सीवीवी नम्बर व पासवर्ड जान लेता है और दूसरा एटीएम जनरेट कर क्लोन करके मुझे दे देता है, और पासवर्ड मुझे व्हाट्सप पर भेज देता है। अरमान के द्वारा मुझे करीब 28 एटीएम के पासवर्ड पहले भी दिये गये है। अरमान व्हाट्सप पर मुझे पासवर्ड भेजता है। जो पैसे गाडी से मिले है ये मैने विभिन्न एटीएम से नोएडा व एनसीआर क्षेत्र से निकाले है।

अभियुक्त का विवरण-

नाजिम पुत्र शेखावत निवासी म0नं0-32, चोट पुर बहलोलपुर सेक्टर 63 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 42/21 धारा 379, 420, 414 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

- 1.36 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंको के
- 2.58,000/- रूपये नकद
- 3.एक कार आई-10 नं0 डीएल7सीपी-6333

3- थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस द्वारा 04 अंतर्राज्यीय मोबाइल सैचर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट/चोरी के विभिन्न कम्पनियों के 18 मोबाइल फोन, व फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 01.02.2021 को थाना थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस द्वारा 04 अंतर्राज्यीय मोबाइल सैचर अभियुक्त 1. आकाश पुत्र राजकुमार 2. करन पुत्र राजेन्द्र 3. फिरोज पुत्र अलाऊदीन 4. तालिब खान पुत्र उस्मान खान को थाना क्षेत्र के थापर गेट के पास सेक्टर 56 से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से

लूट/चोरी के विभिन्न कम्पनियों के 18 मोबाइल फोन, व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पल्सर नं0 यूपी 16 सीए 7186 (असली नं0 एचआर 42 बी 8190) बरामद की गई है।

अपराध करने का तरीका:

अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मोटरसाइकिल का असली नम्बर बदलकर फेक्ट्रियो में छुट्टी के समय कम्पनी से बाहर निकलते व्यक्तियों से सूनसान स्थान पर उनका मोबाइल फोन छीन लेते है व अपने साथी लालबानी जिसकी गप्फार मार्केट में दुकान है उसको बेच देते है व तालिब की साहिबाबाद, गाजियाबाद में मोबाइल की दुकान है।

अभियुक्तों का विवरण-

1. आकाश पुत्र राजकुमार निवासी बी 77 श्यामपार्क साहिबाबाद थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
2. करन पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी डी 17 श्याम पार्क एक्सटेंशन साहिबाबाद गाजियाबाद।
3. फिरोज पुत्र अलाऊद्दीन निवासी मस्जिद वाली गली इन्द्रा कालोनी साहिबाबाद गाजियाबाद।
4. तालिब खान पुत्र उस्मान खान निवासी म0नं0- 287 ,गली नंबर 05 साहिबाबाद गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

अभियुक्त आकाश

1. मु0अ0सं0-35/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-36/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0-37/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0-38/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0-42/21 धारा 392, 411 भादवि थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0-41/21 धारा 411, 414, 482 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0-1414/18 धारा 392, 411 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
8. मु0अ0सं0-1206/18 धारा 392, 411 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।

अभियुक्त करन

1. मु0अ0सं0-35/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।

2. मु0अ0सं0-36/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0-37/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0-38/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0-42/21 धारा 392, 411 भादवि थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0-41/21 धारा 411, 414, 482 भादवि सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0-1318/18 धारा 392, 411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
8. मु0अ0सं0-3645/18 धारा 392, 411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
9. मु0अ0सं0-3650/18 धारा 25 आम्रस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

अभियुक्त फिरोज

1. मु0अ0सं0-35/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-36/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0-37/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0-38/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0-42/21 धारा 392, 411 भादवि थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0-41/21 धारा 411, 414, 482 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त तालिब

1. मु0अ0सं0-35/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-36/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0-37/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0-38/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0-42/21 धारा 392, 411 भादवि थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।

6.मु0अ0सं0-41/21 धारा 411, 414, 482 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

- 1.मोबाइल फोन रेडमी (सम्बन्धित मु0अ0सं0-42/21 धारा 392, 411 भादवि थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर)
- 2.मोबाइल फोन रियलमी (सम्बन्धित मु0अ0सं0-37/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर)
- 3.मोबाइल फोन सेमसंग (सम्बन्धित मु0अ0सं0-42/21 धारा 392, 411 भादवि थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर)
- 4.मोबाइल फोन ओपो ए-53 (सम्बन्धित मु0अ0सं0-35/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर)
- 5.मोबाइल फोन वीवो (सम्बन्धित मु0अ0सं0-38/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर)
- 6.मोबाइल फोन ओपो (सम्बन्धित मु0अ0सं0-36/21 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर)
7. 12 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी के (लूट/स्रैचिंग)
8. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पल्सर नं0 यूपी 16 सीए 7186 (असली नं0 एचआर 42 बी 8190)

4- थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा अवैध रूप से भरकर पशु ले जा रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 कटरे, 04 भैंस व टाटा 407 गाड़ी बरामद।

दिनांक 02/02/21 को थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध रूप से भरकर पशु ले जा रहे 04 अभियुक्त 1.फिरोज पुत्र अयूब 2.आदिल पुत्र इकबाल 3.रईस पुत्र जमील 4.काला पुत्र आस मोहम्मद निवासी मौ0 आजादनगर थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के केंची की पुलिया चौराहे से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 03 कटरे, 04 भैंस व टाटा 407 गाड़ी UP16ET5057 बरामद कि गई है।

अभियुक्तों का विवरण-

1. फिरोज पुत्र अयूब निवासी मौ0 आजादनगर थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।
2. आदिल पुत्र इकबाल निवासी मौ0 आजादनगर थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।
3. रईस पुत्र जामिल निवासी मौ0 आजादनगर थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।
4. कला पुत्र आश मोहम्मद निवासी मौ0 आजादनगर थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 23/21 धारा 3/11 पशु क्रूरता निवारक अधि0 थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 03 कटरे,
2. 04 भैंस
3. गाड़ी टाटा 407 UP16ET5057

5- थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस द्वारा खाद्य लाइसेंस के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.02.2020 को थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-543/2020 धारा 420, 406, 467, 468, 504, 506, 34 भादवि में वांछित अभियुक्त 1. चमन सिंह पुत्र बाबू राम 2. जयपाल सिंह पुत्र न्यादर सिंह को थाना क्षेत्र के आईथम टावर के पास सेक्टर 62 से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण-

दिनांक 28.10.2020 को अभियुक्तों द्वारा वादी श्री मुकेश द्वारा के साथ धोखाधड़ी कर दस्तावेजों के साथ जाली खाद्य लाइसेंस देते हुए धोखाधड़ी करके वादी से 10,00,000/- रूपये लिये गये थे व रूपये वापस मांगने पर वापस नहीं दिये गये थे।

अभियुक्तों का विवरण-

1. चमन सिंह पुत्र बाबू राम स्थाई पता ए-360 जी0डी0 कालोनी मयूर विहार फेस-3 थाना गाजीपुर दिल्ली 96 वर्तमान पता-डी021ग्राम घरौली मयूर विहार फेस-3 गाजीपुर दिल्ली।

2.जयपाल सिंह पुत्र न्यादर सिंह स्थायी पता- हरियाखेडा पोस्ट बिराल थाना काधला जिला मुजफ्फरनगर
वर्तमान पता ए-88 2 फ्लोर जी0डी0 कॉलोनी मयर विहार फेस-3 थाना गाजीपुर दिल्ली।

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-543/2020 धारा 420, 406, 467, 468, 504, 506, 34 भादवि थाना सेक्टर 58
गौतमबुद्धनगर।

**6- थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 03 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व लूट
के 28,500 रूपये बरामद।**

दिनांक 02/02/2021 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 03 शातिर लुटेरे 1. अनुज
उर्फ सूर्य प्रताप सिंह पुत्र राजकुमार 2. सौरभ पुत्र जगदीश 3. संजय कुमार पुत्र रामबाबू सिंह को थाना
क्षेत्र के निक्को मोड से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल स्पैलेन्डर रजि0नं0 UP 14
EH4924 (संबंधित मु0अ0सं0 1432/20 धारा 379 आईपीसी थाना सिहानीगेट गाजियाबाद व लूट के
28,500 रूपये नकद (संबंधित मु0अ0सं0 43/21 धारा 120बी/392/411 आईपीसी थाना सूरजपुर)
बरामद किये गये है।

अभियुक्तों का विवरण-

1. अनुज उर्फ सूर्य प्रताप सिंह पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मंगलोर थाना सलेमपुर जिला बुलंदशहर।
2. सौरभ पुत्र जगदीश निवासी ग्राम मागलोर थाना सलेमपुर बुलदशहर।
3. संजय कुमार पुत्र रामबाबू सिंह निवासी ग्राम करनपुर थाना गभाना जिला अलीगढ।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0 79/2021 धारा 411 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 43/21 धारा 120बी/392/411 आईपीसी थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 1432/20 धारा 379 भादवि थाना सिहानी गेट गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

1. चोरी की मोटर साइकिल स्पैलेन्डर रजि0नं0 UP 14 EH4924 (संबंधित मु0अ0सं0 1432/20 धारा 379
आईपीसी थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

2. लूट के 28,500 रूपये नकद (संबंधित मु0अ0सं0 43/21 धारा 120बी/392/411 आईपीसी थाना सूरजपुर)

दिनांक 02/02/2021 को थाना क्षेत्र बिसरख के अंतर्गत निशांत पुत्र सुभाष उम्र करीब 9 वर्ष निवासी हनुमान नगर पुराने हैबतपुर अपने घर से सुबह से लापता हो गया था जिसकी सूचना निशांत के पिता सुभाष द्वारा कंट्रोल रूम को दी गई थी। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज गौर सिटी-1 और पीआरवी 4685 के कर्मियों द्वारा लापता बच्चे को तलाश कर सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस के इस सराहनीय कार्य के लिए बच्चे के परिजनों व आसपास के लोगों द्वारा गौतमबुद्धनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा कि गई।